

# प्रधानमंत्री आवास योजना -सबके लिए आवास (शहरी)



प्रधान मंत्री  
आवास योजना-शहरी  
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban

(केवल ऑनलाइन आवेदन-पत्र ही स्वीकार्य)

जुलाई 2023

## लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन स्वण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ-226010

वेबसाइट : [www.ldaonline.co.in](http://www.ldaonline.co.in)



## विवरण पुस्तिका

योजना का नाम : प्रधानमंत्री आवास योजना—सबके लिए आवास (शहरी)

स्थल : बसतकुज याजना सेक्टर—आई हरदोई रोड  
उद्देश्य

भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना—सबके लिए आवास (शहरी) का शुभारम्भ जून, 2015 को किया गया है। योजना का उद्देश्य देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बेघर परिवारों (जिनके पास पक्का आवास नहीं है) को पक्का आवास उपलब्ध कराया जाना है।

योजना का विवरण : प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण कराये जा रहे भवनों का विवरण निम्नवत् है :-

### भवन विवरण तालिका

क्र. सं.	योजना का नाम (रेरा रजिस्ट्रेशन संख्या)	भवनों की संख्या	भवन का कार्पेट एरिया/सुपर एरिया वर्ग मी.	भवन का मूल्य	केन्द्रीय अंशदान (अनुदान)	राज्य अंशदान (अनुदान)	लाभार्थी द्वारा देय धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बसन्त कुन्ज योजना, सेक्टर—आई						
	PART-B UPRERPRJ131961	720	24.72 /36.65	7,29,550.00	1,50,000.00	1,00,000.00	4,79,550.00
	PART-C UPRERPRJ442621	768					
	PART-D UPRERPRJ360874	768					
	PART-E UPRERPRJ645584	768					
	PART-F UPRERPRJ923400	768					
	<b>योग</b>	3792					

**नोट:**

- लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भवन के नियमित अनुरक्षण हेतु भवन के निर्धारित मूल्य की 01 प्रतिशत धनराशि का अनुरक्षण फण्ड तथा वृहद एव आकरिमक अनुरक्षण कार्यों हेतु भवन के निर्धारित मूल्य के 01 प्रतिशत धनराशि का कारपस फण्ड बनाया जायेगा। उक्त दोनों फण्ड में सम्पूर्ण धनराशि का योगदान लाभार्थियों द्वारा किया जायेगा। उक्त धनराशि भवन के सामान्य मूल्य के अतिरिक्त होगी।
- प्रस्तावित विक्रय मूल्य में अन्य देय टैक्स वास्तविक अनुसार अतिरिक्त देय होंगे।
- भवनों के स्ट्रक्चरल ग्रिड के सापेक्ष कारपेट क्षेत्रफल 24.72 वर्गमी. है। यह समान रूप से मूल्य हेतु मान्य/ग्राह्य होगा।

पंजीकरण :-

पंजीकरण की अवधि दिनांक...25.07.2023... से दिनांक 30.09.2023 तक पंजीकरण शुल्क रु0 10,000.00 (रुपये दस हजार मात्र)।

किश्तें :-

आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर रु0 50,000.00 (रु0 पचास हजार मात्र) तथा अवशेष धनराशि रु0 4,19,550.00 मात्र को 60 मासिक किश्तों में 7 प्रतिशत व्याज सहित प्रतिमाह रु0 8308.00 देय होगा। किश्तों का विलम्ब से भुगतान करने पर 11 प्रतिशत साधारण व्याज देय होगा।

पात्रता :-

- आवेदक भारत का नागरिक एवं लखनऊ के शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र पंजीकरण प्रारंभ होने के तिथि को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के पास उसके नाम से अथवा उसके परिवार (पति/पत्नी एवं अविवाहित वच्चे) के किराई सदस्य के नाम से भारत के किसी भी भाग में पक्का मकान। (सभी मौसम में रहायशी इकाई) नहीं होना चाहिए।
- दुबल आय वर्ग श्रेणी के भवनों हेतु अधिकतम रु0 3,00,000.00 (रुपये तीन लाख मात्र) तक की वार्षिक आय वाले परिवार ही पात्र होंगे। पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि से 6 माह के पूर्व जारी हुए आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। आवेदनकर्ता को सम्बन्धित तहसील से निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- उन्नीसवां पात्रता धारक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत आवेदन हेतु पात्र होंगे। जिला नगरीय विकास अभिकरण (इड्डा) द्वारा पूर्व में चयनित आवेदकों के साथ-साथ नये आवेदकों को भी लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अधीन भवनों हेतु आवेदन करना होगा। आवेदन के पश्चात उनकी पात्रता का सत्यापन जिला नगरीय विकास अभिकरण (इड्डा) द्वारा किये जाने के उपरान्त स्थापित आवेदक ही आवंटन के पात्र होंगे।
- इस योजना के अन्तर्गत निर्मित किये गये आवास, परिवार की महिला मुखिया अथवा परिवार के पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम से होगा। और केवल उन मामलों में जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं हो, तो परिवार के पुरुष सदस्य के नाम से किया जा सकता है।
- उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अन्तर्गत सार्वजनिक भूमि से विस्थापित कमजोर वर्ग के पात्र व्यक्ति द्वारा यदि आवंटन हेतु आवेदन किया जाता है तो उसे आवंटन में वरीयता दी जायेगी।

आरक्षण :-

- उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या 1022/आठ-1-18-93 विविध/2018 दिनांक 11 जुलाई, 2018 के क्रम में प्रधानमंत्री आवासीय योजना सन्दर्भ में आवास (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थियों को आवंटित किये जाने वाले भवनों में "परीयता नीति" व्यवस्था निम्नानुसार की गयी है :-

(अ) वर्टिकल वरीयता

क्र.सं.	श्रेणी	वर्टिकल वरीयता प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जनजाति	2
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27

(ब) हॉरिजेंटल वरीयता

क्र.सं.	श्रेणी	हॉरिजेंटल वरीयता प्रतिशत
1.	दिव्यांगजन	05% (वरीयता-भूतल के भवन/पलैट)
2.	विधवा/एकल महिला	08%
3.	उभयलिंगी /	0.5%
4.	अल्पसंख्यक	अन्य पिछड़ा वर्ग में पूर्व से अनुमन्य है।
5.	वरिष्ठ नागरिक	10% (वरीयता-भूतल के भवन/पलैट)

- आरक्षण के लिए सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- वरिष्ठ नागरिक से तात्पर्य यह है कि पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि को आयु 60 वर्ष से कम न हो।
- सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी का सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

**आवंटन:-**

- आवेदकों की सूची जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा को प्रेषित की जाएगी एवं वह इस सूची का भौतिक सत्यापन कराते हुए सत्यापित सूची ल.वि.प्रा. को उपलब्ध करायेगें। सत्यापित सूची के आवेदकों को ही लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा। असत्यापित आवेदकों के आवेदन/पंजीकरण निरस्त समझे जायेगें।
- सफल आवेदकों को मैन्युअल लाटरी के आधार पर आवंटन किया जायेगा जिसकी पूर्व सूचना लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जायेगी।
- प्राप्त आवेदनों में से लाभार्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। लॉटरी कुल भवनों की संख्या से 10 प्रतिशत अधिक लाभार्थियों (यदि उपलब्ध हो) हेतु की जायेगी। उक्त 10 प्रतिशत की संख्या के लाभार्थियों की प्रतीक्षा सूची अभिकरण द्वारा जारी करते हुए प्रतीक्षा सूची के अन्तर्गत आ रहे सभी लाभार्थियों को भी आवंटन पत्र जारी किया जायेगा। वारतविक चयनित लाभार्थियों में से डिफॉल्टर (यदि कोई हो) लाभार्थियों का आवंटन निरस्त करते हुए प्रतीक्षा सूची में स्थित लाभार्थियों को क्रमवार डिफॉल्टर लाभार्थियों के भवन आवंटित कर संशोधित पत्र जारी किया जायेगा। ऐसी दशा में डिफॉल्टर लाभार्थियों द्वारा जमा धनराशि अभिकरणों के आवंटन नियमावली के आधार पर कटौती के उपरान्त डिफॉल्टर लाभार्थियों को वापस कर दी जायेगी। लाभार्थियों द्वारा मांग पत्र के अनुसार धनराशि जमा कर भवन आवंटन स्वीकार कर लिया जाता है, तो प्रतीक्षा सूची के लाभार्थियों को प्रचलित एफ.डी.आर. की दर से अभिकरण द्वारा व्याज सहित पंजीकरण धनराशि वापस की जायेगी।

- बसन्तकुञ्ज योजना के राभी पाकट्टस कं भवनों को सम्मिलित करते हुए लॉटरी प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।
- लॉटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से प्राधिकरण नोटिस बोर्ड एवं प्राधिकरण की वेबसाइट [www.ldaonline.co.in](http://www.ldaonline.co.in) पर उपलब्ध होगा।
- सफल आवेदक को आवंटन पत्र भारत सरकार के पोर्टल पर बायोमेट्रिक सत्यापन अनुसार ही निर्गत तथा अनुमन्य होगा, जिस हेतु लॉटरी में सफल आवेदक को स्वयं प्राधिकरण/अन्य निर्धारित स्थल पर उपस्थित होकर बायोमेट्रिक सत्यापन करना अनिवार्य होगा।
- आवंटी विद्युत कनेक्शन सम्बन्धित विभाग से अपने खर्च पर स्वयं लेगा।
- आवंटी द्वारा भवन का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा।
- आवंटन तक इस योजना की किसी भी शर्त में संशोधन का अधिकार, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को होगा तथा ऐसे संशोधन आवेदकों/आवंटियों को मान्य होंगें।

#### पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी:-

- यदि कोई आवेदक लॉटरी की तिथि घोषित होने के पूर्व पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन देता है, तो उसकी पंजीकरण धनराशि वापस कर दी जायेगी और उसे लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, किन्तु लॉटरी की तिथि घोषित होने के पश्चात और लॉटरी की प्रक्रिया सम्पन्न होने के पूर्व पंजीकरण निरस्तीकरण सम्बन्धी कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- लॉटरी के पश्चात असफल जिन आवेदकों को भवन आवंटित नहीं हो पाते हैं और जिनकी जमा राशि एक वर्ष से कम अवधि के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास जमा है उन्हें पंजीकरण राशि बिना ब्याज एक माह के अन्दर आर०टी०जी०एस० द्वारा आवेदन पत्र में अंकित बैंक के माध्यम से वापिस की जायेगी। इस हेतु आवेदन में निर्दिष्ट स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता संख्या एवं बैंक का आई०एफ०एस०सी०कोड अंकित करना अनिवार्य है। यदि प्राधिकरण द्वारा इस योजना का लॉटरी पंजीकरण की अंतिम तिथि के एक वर्ष के अन्दर कर लिया जाता है तो जमा पंजीकरण राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि ड्रा एक वर्ष पश्चात किया जाता है तो असफल आवेदकों को पंजीकरण की अन्तिम तिथि से ड्रा की तिथि तक एस.वी.आई. बचत खाता का साधारण ब्याज देय होगा।
- यदि किसी आवेदक द्वारा आवंटित भवन का समर्पण किया जाता है तथा नियम व शर्तों का उल्लंघन नहीं करता है, तो उस स्थिति में पंजीकरण राशि की 20 प्रतिशत+जी.एस.टी. धनराशि कटौती कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। धनराशि वापसी हेतु समस्त मूल प्रपत्र व मूल रसीद देनी होगी।
- भुगतान विवरण के अनुसार किश्तें लगातार अदा न करने पर भवन का आवंटन नियमानुसार निरस्त करने या दण्ड ब्याज निर्धारित करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा।

### आवंटी / आवेदक की मृत्यु की दशा में :-

- यदि आवंटी / आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसके पंजीकरण / उसको आवंटित भवन उसके उत्तराधिकारियों को, जो इस योजना हेतु पात्र है को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर नियमानुसार समस्त भुगतान करने पर हस्तान्तरित कर दिया जायेगा। पात्र उत्तराधिकारी न मिलने पर भवन अभिकरण में निहित समझा जायेगा।

### मिथ्या अभिकथन अथवा तथ्यों को छिपाना:-

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया है तो उनके आवंटन / निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा10 में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार अन्य कोई कार्यवाही (जो उचित समझे) करने को स्वतंत्र होगा।

### भवनों का पंजीकृत अनुबन्ध, कब्जा एवं लीज डीड:-

- भवनों का निर्माण आगामी दो वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है, किन्तु भवनों का कब्जा पूर्व पृष्ठ पर अंकित शासनादेश के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्यों के पूर्ण किये जाने के अनुसार अनुमन्य होगा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन भवन के सम्पूर्ण मूल्य व अन्य व्ययों के भुगतान के उपरांत शासनादेश संख्या 3188 / आठ-1-13-80 विविध / 2010, दिनांक 05 दिसम्बर 2013 के प्रस्तर-2 (viii) के अनुसार ई.डब्ल्यू.एस. व एल.आई.जी. भवनों का विक्रय / हस्तान्तरण आवंटन की तिथि से 05 वर्षों तक प्रतिबन्धित है। परन्तु किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा उक्त भवनों के लिए दिये गये ऋण की वसूली हेतु बन्धक रखे गये भवन की नीलामी / विक्रय हेतु उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा, किन्तु नीलामी / विक्रय से प्राप्त धनराशि से सर्वप्रथम शासकीय सब्सिडी की वसूली की जाएगी, तत्पश्चात् बैंक द्वारा अपने ऋण की वसूली की जाएगी। उपरोक्त दोनों धनराशि की वसूली के पश्चात कोई धनराशि बचती है तो वह धनराशि सम्बन्धित विकास प्राधिकरण / आवास विकास को वापस की जाएगी। निर्माण के उपरांत लाभार्थी के पक्ष में औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए एवं पूर्ण भुगतान के उपरान्त पंजीकृत अनुबंध (त्रिपक्षीय) निष्पादित कराते हुए कब्जा दिया जाएगा। कब्जे की तिथि से 5 वर्ष तक उक्त इकाई का उपयोग आवंटी द्वारा स्वयं किया जाएगा। 5 वर्ष की अवधि के बाद ही लीज डीड निष्पादित किया जाएगा। 5 वर्ष की अवधि में आवंटी द्वारा उक्त इकाई का उपयोग स्वयं हेतु नहीं किया जाता है, तो आवंटन निरस्त करते हुए उक्त इकाई प्राधिकरण में निहित हो जाएगी तथा आवंटी को कोई धनराशि देय नहीं है।
- आवंटी को समस्त मूल्य जमा करने के उपरांत तीन महीने के अंदर समस्त औपचारिकाएं पूर्ण कराकर अपने खर्च पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत अनुबंध निष्पादित कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा तत्समय की गयी दण्डात्मक कार्यवाही आवंटी को मान्य होगी।
- पंजीकरण से पूर्व आवंटी को आन लाइन अपलोड किये गये समस्त प्रपत्रों की मूल प्रति सत्कारण हेतु प्रस्तुत करनी होगी।
- निबन्धन में आन वाला समस्त व्यय (स्टैम्प पंपर व कोर्ट फीस) आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
- प्राधिकरण द्वारा सूचित अवधि में पंजीकृत अनुबन्ध न कराने एवं भवन का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार होल्डिंग शुल्क रु0 200 / - प्रति माह देना होगा, तत्पश्चात निबन्धन से विलम्बतम छः माह तक कब्जा न लेने पर उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा10 को भवन का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

- योजना की सेवाओं का स्थानीय निकाश को हस्तान्तरण होने तक उनका रख-रखाव विकासकर्ता द्वारा किया जाएगा। योजनान्तर्गत निर्मित भवनों में कॉमन सुविधाओं के रख-रखाव हेतु उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट अधिनियम, 2010 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। विकासकर्ता द्वारा भवन के नियमित अनुरक्षण हेतु भवन के निर्धारित मूल्य की 01 प्रतिशत की धनराशि का अनुरक्षण फण्ड तथा वृहद एवं आकस्मिक अनुरक्षण कार्यों हेतु भवन के निर्धारित मूल्य के 01 प्रतिशत धनराशि कारपस फण्ड बनाया जायेगा। उक्त दोनों फण्ड में सम्पूर्ण धनराशि का योगदान लाभार्थियों द्वारा किया जायेगा। उक्त धनराशि भवन के सामान्य मूल्य के अतिरिक्त होगी। उक्त भवनों के पूर्ण होने के उपरांत प्रथम कब्जे की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक अनुरक्षित किया जायेगा। 5 वर्ष से पूर्व आर.डब्ल्यू.ए. का गठन हो जाने की स्थिति में साझा क्षेत्रों एवं सामूहिक सुविधाओं का हस्तान्तरण होने के पश्चात अनुरक्षण फण्ड एवं कारपस फण्ड की अवशेष धनराशि रजिस्टर्ड वेलफेयर एसोसिएशन को हस्तगत कर दी जायेगी।

### शुल्क / कर आदि की देयता :-

नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर / शुल्क आवंटि द्वारा देय होंगे।

### अन्य सामान्य नियम व शर्तें :-

- आवंटन के पश्चात लखनऊ विकास प्राधिकरण में अन्य प्रचलित शर्तें / नियम समय-समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इनमें किये गये संशोधन / परिवर्तन / परिवर्धन लागू एवं मान्य होंगे।
- इस योजना से सम्बन्धित प्रत्येक मामले पर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।
- किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।

### आवेदन कैसे करें :-

- योजना में आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किये जायेंगे।
- योजना में आवेदन लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट [www.ldaonline.co.in](http://www.ldaonline.co.in) पर किये जायेंगे।

### आवेदन करने के लिए मार्ग दर्शक सिद्धांत :-

- आवेदक केवल एक पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकता है। पंजीकरण शुल्क एक बार ही भुगतान करना है।
- विवरणिका में दर्शायी समस्त योजनाओं की लाटरी में आवेदक का नाम सम्मिलित किया जायेगा। अन्यथा आवेदक जिस योजना हेतु आवेदन करना चाहता है, ऑनलाइन आवेदन फार्म में उक्त योजना का नाम चयन करें।
- जिन योजनाओं में सबसे अधिक आवेदक होंगे उन योजनाओं की लाटरी सबसे पहले की जायेगी। इसी क्रम में सभी योजनाओं की लाटरी की जायेगी।
- लाटरी द्वारा जिस योजना में आवेदक को भवन आवंटित होगा, आवेदक को भवन विवरण तालिका के अनुसार उक्त योजना के सम्मुख कॉलम संख्या-8 में वर्णित मूल्य (अन्य देय करों का अतिरिक्त भुगतान देय होगा) का भुगतान करना होगा।

## भवनों के निर्माण हेतु भूमि एवं बाह्य विकास कार्य की व्यवस्था :-

- आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उप. शासन के शासनादेश संख्या 1131/आठ-1-17-106/विधि/2018 दिनांक 11.07.2018 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेबल हाउसिंग / इन-पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है।
- शासन के आदेश संख्या 1878/आठ-1-18-80/विधि/2010 दिनांक 17 अक्टूबर 2018 के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के बाह्य विकास कार्य निम्नानुसार विभिन्न विभागों/कार्यदायी संस्था से कराये जाने हैं :-

### 1. एप्रोच रोड एवं ड्रेन/सीवर :-

- अ. नगर के मुख्य मार्ग से योजना परिसर को जोड़ने वाली एप्रोच रोड उ०प्र० लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप विदुमन्त रोड के रूप में लोक निर्माण विभाग के विभागीय बजट से निर्मित की जायेगी।
- ब. एप्रोच रोड के दोनों ओर वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट से किया जायेगा। जनपद स्तर पर अन्य स्रोतों से भी वृक्षारोपण हेतु धनराशि की व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा की जा सकती है।
- स. योजना परिसर से नगर के मुख्य नाले तक जोड़ने वाली ट्रंक ड्रेन का निर्माण नगर निगम स्थानीय नगर निकाय द्वारा किया जायेगा। इस कार्य हेतु बजट की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा की जायेगी।
- द. योजना परिसर के निकटवर्ती नगर के क्षेत्र में सीवर प्रणाली होने की स्थिति में परिसर से नगर के मुख्य सीवर को जोड़ने वाली ट्रंक सीवर का निर्माण उ०प्र० जल निगम / नगर निगम स्थानीय नगर विकास द्वारा किया जायेगा इस कार्य हेतु बजट की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा की जायेगी।

### 2. बाह्य जलापूर्ति :-

- अ. योजना के प्रत्येक प्लॉट में ओवर-हेड-ट्रंक (आवश्यकतानुसार) नलकूप राइजिंग मैन, पम्पिंग-प्लान्ट तथा पम्प हाउस का निर्माण उ०प्र० जल निगम द्वारा वाटर सप्लाय मैनुअल के अनुसार किया जायेगा जिसके लिए वास्तविक कार्य की लागत के आधार पर बजट की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा की जायेगी तथा पेयजल का स्रोत समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
- ब. गन्व हाउस में विद्युत सयोजन की कार्यवाही उ०प्र० जल निगम द्वारा अपने उपरोक्त विभागीय बजट से करायी जायेगी तथा पेय जलापूर्ति के हेडवर्क रख-रखाव हेतु नगर निकाय का इन्तगत की जायेगी।

### 3. बाह्य विद्युतीकरण :-

- अ. योजना के प्रत्येक प्लॉट में बाह्य विद्युतीकरण उ० प्र० पावर कारपोरेशन द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए वास्तविक लागत के अनुसार शासन स्तर से विद्युत वितरण प्रणाली हेतु आवंटित धनराशि अपने विभागीय बजट के माध्यम से करायी जायेगी।
- ब. बाह्य विद्युतीकरण के अन्तर्गत सब-स्टेशन, ट्रान्सफार्मर लगाना, भूमिगत एल०टी० लाइन तथा भवनों में विद्युत संयोजन का कार्य (फीडर पिलर के माध्यम से) सम्मिलित होगा।
- स. भवनों में विद्युत सयोजन के अन्तर्गत एल.टी. लाइन से भवनों के ब्लाक्स में स्टेअर केस पर मीटर पैनल जोड़ने का कार्य सम्मिलित रहेगा।
- द. मैन स्विच लगाने व मैन स्विच से प्रत्येक भवन तक विद्युतीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा भवन की निर्धारित लागत में सम्मिलित रहेगा। उपरोक्त कार्य शासन द्वारा प्राधिकरण को धनराशि उपलब्ध कराये जाने पर प्राधिकरण द्वारा भी सम्पादित कराये जा सकेंगे।



## LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

### **Process of Filling of Online Form**

ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने की प्रक्रिया

Brochure of Scheme is available on Lucknow Development Authority Website [www.ldaonline.co.in](http://www.ldaonline.co.in) Please keep the following information ready before filling up the form.

योजना की विवरणिका (ब्रोशर) लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट [www.ldaonline.co.in](http://www.ldaonline.co.in) पर उपलब्ध है। कृपया ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने से पूर्व निम्नवत् सूचना / प्रपत्र अपने साथ अवश्य रखें :-

Brochure available – [www.ldaonline.co.in](http://www.ldaonline.co.in)

विवरणिका उपलब्ध - [www.ldaonline.co.in](http://www.ldaonline.co.in)

### **Checklist (चेकलिस्ट)**

Aadhar No. (Self-attested Aadhar Card copy to be uploaded online)

1. आवेदक का आधार संख्या (स्व हस्ताक्षरित आधार प्रपत्र की प्रति अपलोड करने हेतु साथ रखें)।
2. Mobile No./ मोबाइल नम्बर
3. If you belong to Vertical Reservation Category please keep a copy of certificate of your Category (Schedule cast, Schedule tribe or Other Backward Class) – to be uploaded online.  
यदि वर्टिकल आरक्षण श्रेणी में हैं तो अपनी आरक्षण श्रेणी (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग) का प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु साथ रखें।
4. Recent Passport size photograph of applicant – to be uploaded online in JPEG format.  
आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करने हेतु साथ रखें।
5. If you belong to Disabled Category (Horizontal Priority Category) please keep a copy of certificate to be uploaded online.  
यदि आवेदक दिव्यांगजन श्रेणी (छंतिज आरक्षण श्रेणी) के अन्तर्गत हैं तो दिव्यांगजन श्रेणी का प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु साथ रखें।
6. Income certificate – to be uploaded online.  
आय प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु साथ रखें।
7. Bank account Details (Bank account number and IFSC Code) for Refund to the unsuccessful applicants.  
बैंक खाते का विवरण (खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड) जिसमें असफल आवेदक को पंजीकरण राशि वापिस की जायेगी।
8. Aadhar Number of Spouse (If Married)  
पति / पत्नी का आधार संख्या (यदि विवाहित है।)

9. Aadhaar Card, if not available Voter ID Card/Any other unique identification number of Father/Mother (Required in case of Unmarried Man/ Unmarried Woman/ Unmarried Transgender, Single/ Divorcee Woman )  
पिता/माता का आधार/मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान पत्र संख्या अपलोड करने हेतु साथ रखें। (अविवाहित पुरुष/ अविवाहित महिला/ अविवाहित उभयलिंगी एवं विधवा/एकल महिला के लिये अनिवार्य है, )

- a. Aadhar
- b. Voter ID
- c. Pan Card
- d. Passport
- e. Driving License
- f. Ration card
- g. Other

**Note:** We suggest you to take a print out of the blank form and fill in the detail before filling online to avoid any mistakes\*\*

नोट: हमारा सुझाव है कि कृपया ऑन लाइन फार्म भरने से पूर्व निम्नवत् फार्म भरकर अपने साथ रखें, जिससे ऑनलाइन एण्ट्री दर्ज करते समय त्रुटि की सम्भावना नहीं रहें।

### **Proceed for Payment: भुगतान प्रक्रिया**

#### **Online Payment Mode:**

Please tick to select the Online Payment Mode.

ऑनलाइन भुगतान हेतु विकल्प पर क्लिक करें।

1. NET banking (नेट बैंकिंग)
2. Debit Card (डेबिट कार्ड)
3. Credit card (क्रेडिट कार्ड)
4. UPI (यूपीआई)

Please submit to print the online receipt of payment.

ऑन लाइन भुगतान के उपरांत ऑनलाइन रसीद हेतु सशमि्ट करें।



# लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ  
दूरभाष 0522- 2394177, 2303133 फैक्स 0522-2395554  
वेबसाइट www.ldaonline.co.in

पासपोर्ट साइज फोटो (आवेदक-1)	पासपोर्ट साइज फोटो (आवेदक-2)
------------------------------------	------------------------------------




## शपथ-पत्र का प्रारूप

(शपथ-पत्र रु. 10/- के जनरल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित हो।)

मैं/हम श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री.....आयु.....  
वर्ष.....निवासी..... शपथपूर्वक यह बयान करता/करती हूँ करते हैं कि-

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ।
2. मेरे जो मेरे परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसकी पति/पत्नी/आवयस्क बच्चों से हैं) के किसी सदस्य का लखनऊ नगर में लखनऊ विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, इम्पूवमेंट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों अथवा संस्थाओं द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं है।
3. यदि भूमि अर्जन के प्रतिभूति के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आर्बिट्रि भूखण्ड के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसके निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूंगा/करुंगी/करेंगे।
4. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूंगा/करुंगी करूँगे। यदि मेरे भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण उक्त के कारण मेरा आर्बिट्र निरस्त करता है तो मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. आवेदन-पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये हैं वे सत्य हैं।
6. मेरे द्वारा पंजीकरण फार्म में बैंक खाता सम्बन्धी जो विवरण दिया गया है, जो कम से कम दो वर्ष तक मान्य रहेगा।

यदि ये घोषणाएं भविष्य में असत्य पायी जायें तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आर्बिट्रि भूखण्ड/भवन निरस्त कर दें तथा समस्त जना धनराशि जब्त कर लें। यदि भूखण्ड की रजिस्ट्री हो गई हो तो भी इस मिथ्या निरूपण के कारण जुर्माने/दण्ड स्वरूप रजिस्ट्रीकृत भूखण्ड के मूल्य के बराबर धनराशि भू-राजस्व की भांति मुझसे वसूल कर ली जायें।



लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ-226010

दूरभाष-0522-2397177, 2303133

फैक्स-0522-239 5554